



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

पत्राक/सी0एस0एफ0/एस.ओ.जी./2-एसपीयू-8/पल्ले/2014-15

दिनांक:-18.03.2015

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0) पर रबी 2014-15 एवं जायद/खरीफ 2015 में विधायन संयंत्र संख्या 19, 206 खण्ड एक पर अनुमानित 80000 क्विंटल रॉ बीजो एवं विधायन संयंत्र संख्या 18,228 खण्ड 2 पर अनुमानित 85000 क्विंटल रॉ बीजो के विधायन एवं पैकिंग कार्य हेतु अनुभवी ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदाएं दिनांक 09.04.2015 को अपराह्न 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि उसी दिन सांय 3:30 बजे फार्म मुख्यालय पर खोली जायेगी। निविदादाताओं से उचित दरे प्राप्त नहीं होने की दशा में निविदाएं पुनः दिनांक 16.04.2015 को तथा 23.04.2015 (निस्तारण नहीं की दशा में) खोली जायेगी। कार्य के बारे में विस्तृत विवरण नियम व शर्तें अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में रु0 100/- का नगद भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक विधायन संयंत्रों के लिए धरोहर राशि रु 25000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट(पृथक- पृथक) जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के नाम देय हो, फार्म खजांची को निविदा देने से पूर्व जमा करवाना होगा। इच्छुक पार्टियों के पास उपरोक्त कार्यों के लिए अनुभव प्रमाण-पत्र, पैना कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र तथा सर्विस टैक्स पंजीयन संलग्न करना होगा। उपरोक्त निविदाओं की विस्तृत जानकारी हेतु हमारी विभागीय वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखा जा सकती है।

सहायक प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का संस्थान)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज.)

क्रमांक सीएसएफ/एसओजी/2-एसपीयू/08/2014-15

दिनांक:-

टेण्डर प्रपत्र

रबी 2014-15, जायद 2015/खरीफ 2015

विधायन सयंत्र संख्या 19,206 खण्ड -1 एवं 18, 228 खण्ड -2 के प्रोसेसिंग/पैकिंग एवं पल्लेदारी के कार्यों के लिए
टेण्डर :-

दर प्रति क्विंटल (रु. में)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	पैकिंग साईज	विधायन सयंत्र संख्या
1-क	एडवांस पैकिंग(बिना स्वचालित पैकिंग मशीन द्वारा):- राँ बीज की बोरी चट्टे से उठाकर फीडिंग स्थल पर डालना या ट्रक ट्राली से लोड करके फीडिंग स्थल पर डालना, प्रोसेसिंग मशीन से प्रोसेस्ड बीज निकालना, जुट बैग/एचडीपीई बैग में 20-40 किलोग्राम बीज तोलना, बैग पर मार्कर कलम से लिखना, टैग, लैबल, मिलाकर बैग के साथ सिलाई करवाना, दवा की पुडिया तथा लीफलैट बैग में डालना, हर बैग में सील लगाना तथा प्लायर से दबाना, बीज को उसी स्थान पर या ट्रैक्टर ट्राली में लोड कर गोदाम में 25 बोरी की ऊँचाई तक चट्टा लगाना व अण्डर साईज को बैग में भरकर सिलना, ट्रैक्टर ट्राली में लोड कर वेब्रिज पर तोलना, गोदाम में चट्टा लगाना तिरपाल से चट्टा ढकना, विधायन केन्द्र पर सफाई का कार्य इत्यादि।	20-40 किलोग्राम	
1-ख	एडवांस पैकिंग(स्वचालित पैकिंग मशीन द्वारा):- राँ बीज की बोरी चट्टे से उठाकर फीडिंग स्थल पर डालना या ट्रक ट्राली से लोड करके फीडिंग स्थल पर डालना, प्रोसेसिंग मशीन से प्रोसेस्ड बीज निकालना, जुट बैग/एचडीपीई बैग में 20-40 किलोग्राम बीज तोलना, बैग पर मार्कर कलम से लिखना, टैग, लैबल, रबड की मोहर बनाना, टैग, लैबल मिलाकर बैग के साथ सिलाई करवाना, दवा की पुडिया तथा लीफलैट बैग में डालना, हर बैग में सील लगाना तथा प्लायर से दबाना, बीज को उसी स्थान पर या ट्रैक्टर ट्राली में लोड कर गोदाम में 25 बोरी की ऊँचाई तक चट्टा लगाना व अण्डर साईज को बैग में भरकर सिलना, ट्रैक्टर ट्राली में लोड कर वेब्रिज पर तोलना, गोदाम में चट्टा लगाना तिरपाल से चट्टा ढकना, विधायन केन्द्र पर सफाई का कार्य इत्यादि।	20-40 किलोग्राम	
2-	राँ बीजो का विधायन:- राँ बीज की बोरी चट्टे से उठाकर फीडिंग स्थल पर डालना या ट्रक /ट्राली से लोड करके फीडिंग स्थल पर डालना, प्रोसेसिंग मशीन से प्रोसेस्ड बीज निकालना बैग पर मार्कर कलम से लिखना, 20-60 किलोग्राम में स्टेण्डर्ड बैग बनाकर तोलना, सिलना, बीज को उसी स्थान पर या ट्रक/ट्राली में लोड कर गोदाम में 12-15 बोरी की ऊँचाई तक चट्टा लगाना व अण्डर साईज बीजो को बैग में भरकर सिलना, ट्रक/ट्राली में लोड करना, वेब्रिज पर तोलना व गोदाम में या अन्य जगह पर चट्टा लगाकर तिरपाल से ढकना इत्यादि।	20-60 किलोग्राम	
3- क	बीजो की पैकिंग(बिना स्वचालित पैकिंग मशीन द्वारा):- बीज की बोरियों को लोड करके दूसरे गोदाम में ले जाना या बीज की बोरी को चट्टे से उठाकर दूसरी जगह रखना, बोरी खोलना, विभिन्न साईज की थैलियों पर रबड की मोहरों से मार्का लगाना या मार्कर कलम से लिखना, बीज की विभिन्न साईज की थैलियों में तोलना, हर साईज की थैलियों को सिलना, टैग लैबल मिलाकर थैलियों की सिलाई के साथ लगाना, सिलने के बाद छोटी थैलियों को हटाना, थैलियों में लीफलैट कल्चर तथा दवा की पुडिया डालना, बीज की थैलियों में सील लगाना, छोटी थैलियों को बड़ी बोरी में भरना, सिलाई करना तथा बोरियों को तोलकर ट्राली में लोड कर दूसरे गोदाम में ले जाकर चट्टा लगाना।	(क) 01 किग्र से कम	
		(ख) 1-5किग्र	
		(ग) 6-10 किग्र	
		(घ) 11-20किग्र	
		(ङ) 21-40 किग्र	
3- ख	बीजो की पैकिंग(स्वचालित पैकिंग मशीन द्वारा):- बीज की बोरियों को लोड करके स्वचालित पैकिंग मशीन पर ले जाना, मशीन के फीडिंग स्थल पर डालना, बोरी खोलना, विभिन्न साईज की थैलियों पर रबड की मोहरों से मार्का लगाना या मार्कर कलम से लिखना, बीज को विभिन्न साईज की थैलियों में तोलना, टैग, लैबल, रबड की मोहर बनाना, हर साईज की थैलियों को सिलना, टैग लैबल मिलाकर थैलियों की सिलाई के साथ लगाना, सिलने के बाद छोटी थैलियों को हटाना, थैलियों में लीफलैट कल्चर तथा दवा की पुडिया डालना, बीज की थैलियों में सील लगाना, छोटी थैलियों को बड़ी बोरी में भरना, सिलाई करना तथा बोरियों को तोलकर ट्राली में लोड कर दूसरे गोदाम में ले जाकर चट्टा लगाना।	(क) 01 किग्र से कम	
		(ख) 1-5किग्र	
		(ग) 6-10 किग्र	
		(घ) 11-20किग्र	
		(ङ) 21-40किग्र	

4	बीज को गोदाम या अन्य स्थान से ट्रक/ट्राली में लोड करके ट्रिटींग मशीन पर डालना, दवा घोलकर ट्रीटर में डालना, बीजो को ट्रिटींग मशीन में डालकर उपचारित करना, ट्रिटींग मशीन से बीज को हटाकर तथा फैलाकर सुखाना तथा सुखने के बाद एकत्रित करना।		
5	1- 200 ग्रम दवा की विभिन्न साईज की पुडिया बनाना ।	प्रति पुडिया	
6	स्पाईलर मशीन से सीड को निकालना:- बीजो को गोदाम से ट्रक/ट्राली में लोड कर या उसी स्थान से स्पाईलर मशीन पर डालना, स्पाईलर मशीन से सीड को निकालना, एकत्रित करना, बीजो को 20-60 किग्र पैकिंग साईज में भरकर पैकिंग स्थल/ गोदाम में ले जाकर चट्टा लगाना ।		
7	गोदाम अथवा अन्य स्थान से बोरी उतारकर ट्राली/ ट्रक में लोड करना। ये दरे विपणन विभाग के लिए मान्य होगी।		
8	ट्राली/ ट्रक से अनलोड करके 12-25 बोरियो की उर्चोई तक चट्टा लगाना इत्यादि। ये दरे विपणन विभाग के लिए मान्य होगी।		
9	रिवैलिडेशन:-छोटी थैलियों को बोरी में से निकालकर हर थैली के टैग पर रिवैलिडेशन की मोहर लगाना तथा फिर से बड़ी बोरी में भरना सिलना तथा चट्टा लगाना या 10-50 किग्र. के बैग को चट्टा लगाना, टैग पर रिवैलिडेशन की मोहर लगाना तथा फिर से चट्टा लगाना।	(क) 1- 5 किग्र	
		(ख) 6-10 किग्र	
		(ग) 11-20 किग्र	
		(घ) 20-40 किग्र	
10	बल्क पैकिंग में बोरियों को ट्रैक्टर में लोडकर दूसरी जगह ले जाना, हर बैग में टैग सिलना फिर ट्राली में लोड कर गोदाम में ले जाकर चट्टा लगाना ।	20-60 किग्र.	
कुल योग प्रति क्विंटल (रूपयों में)			

हस्ताक्षर.....

ठेकेदार का नाम.....

पता.....

.....

.....

मोबाइल न.....

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

प्रोसेसिंग प्लान्ट नं० 18, 228, 19 व 206 पर पल्लेदारी कार्य का ठेका लेने के लिये नियम व शर्तें

1. ठेका मंजूर होने पर ठेकेदार को फार्म द्वारा दिये गये समय के अन्दर कार्य शुरू करना होगा।
2. आवश्यकतानुसार प्रोसेसिंग का कार्य 3 शिफ्टों में चलाया जा सकता जिसके लिए मजदूरों का प्रबन्ध ठेकेदार को करना होगा। अगर ठेकेदार द्वारा समुचित मजदूरों का बन्दोबस्त नहीं हुआ तो फार्म अपने मजदूरों से भी कार्य करवा सकता है और मजदूरों का भुगतान बोनस सहित ठेकेदार के बिल में से कटौती कर दी जायेगी। ऐसी हालत में ठेकेदार का ठेका जब्त किया जा सकता है तथा नये ठेकेदार को लगाकर काम करवाया जा सकता है। इस सिलसिले में नया ठेकादार लगाने पर फार्म को जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई भी ठेकेदार के बिल से की जायेगी।
3. बाल एवं श्रम अधिनियमानुसार बच्चों व शराब पीए हुए मजदूरों को प्लान्ट के अन्दर लाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।
4. प्लान्ट प्रभारी, शिफ्ट प्रभारी, मैकेनिक व अन्य कर्मचारी अधिकारी वर्ग से दुर्व्यवहार करने पर ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जा सकता है तथा धरोहर राशि जब्त की जायेगी। ठेकेदार के मजदूरों को प्रतिदिन कार्य खत्म होने पर प्लान्ट, गोदाम तथा फार्म कार्यालय परिसर के बाहर रहना होगा जिसका प्रबन्ध ठेकेदार को खुद करना होगा।
5. काम के समय दिन व रात को ठेकेदार के मजदूर फार्म की बोरियों व थैली को सोने व बैठने के लिए बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे।
6. ठेकेदार व उसके मजदूरों द्वारा चोरी, मारपीट जैसी हरकत के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
7. ठेकेदार को अपने पास कार्य पर लगाये गये मजदूरों की रोजाना हाजिरी लगाकर शिफ्ट प्रभारी को दिखानी होगी।
8. ठेकेदार को काम के समय कार्यस्थल पर रहना होगा।
9. मजदूरों को लाना व समय पर कार्य करवाने की पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
10. तिरपाल व क्रेट इत्यादि लगाने व ढोने का कार्य ठेकेदार को स्वयं करवाना होगा तथा बरसात, आधी, ओलावृष्टि आदि से बीज, रॉसीड व अण्डर साईज को बचाना होगा।
11. बीज की क्वालिटी संतोषजनक हो उसी के आधार पर फीडिंग करवाना होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः फीडिंग करवाना होगा।
12. ठेकेदार व उसका प्रतिनिधि तथा मजदूरों का नाम व पता कार्य पर लगाने से पूर्व लिखित रूप में प्लान्ट प्रभारी को देना होगा।
13. ठेकेदार के मजदूरों द्वारा बीज की बोरियों व थैलियों में हुक किसी भी हालत में नहीं लगायेंगे।
14. ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
15. ठेकेदार के मजदूरों की शिकायत की जिम्मेवारी ठेकेदार की ही होगी।
16. किसी कारण से ठेकेदार को बिल के भुगतान में देर होने पर भी ठेकेदार को कार्य करवाना होगा और सही समय पर पूरा करवाना होगा।
17. बीज व अण्डरसाईज की तुलाई सही व निश्चित मात्रा के अनुसार सही होनी चाहिए अन्यथा किसी भी बोरी, कट्टे व थैली को तौलकर चैक किया जा सकता है और अगर तौल सही ना मिला तो पूरा का पूरा लॉट दोबारा तुलवाना होगा।

18. ठेकेदार अपना ठेका किसी दूसरे ठेकेदार के नाम निदेशक की इजाजत के बगैर स्थानान्तरण नहीं कर सकता।
19. अगर ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जायेगा तो उसका ठेका बिना किसी नोटिस के रद्द कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर कार्यवाही भी की जा सकती है।
20. ठेकेदार व उसके मजदूर प्लान्ट या गोदाम में बीड़ी, सिगरेट नहीं पियेंगे तथा ज्वलनशील पदार्थ अंदर नहीं लायेंगे।
21. ठेकेदार अपने मजदूरों को दवाई का कार्य करते समय मास्क व दस्ताने स्वयं देगा। दवा की पुड़िया बनाते समय बीज का उपचार करते समय बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं व बीमार मजदूरों का काम पर नहीं लगायेगा तथा शिफ्ट इन्चार्ज द्वारा बताये गये निर्देशों का पालन करेगा।
22. ठेकेदार व उसके मजदूर प्लान्ट की मशीनों तथा बिजली के स्विच आदि के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। मशीनों को नहीं चलायेगा।
23. प्रतिदिन कार्य की समाप्ति पर गोदाम या प्लान्ट के शटर बंद करवाने होंगे।
24. सभी विधायन संयंत्रों पर प्रतिदिन प्रति पारी (शिफ्ट) कम से कम 200 क्विंटल रॉ बीजों की ग्रेडिंग करने हेतु आवश्यक श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। 200 क्विंटल रॉ बीजों से कम ग्रेडिंग होने पर ठेकेदार के खिलाफ आवश्यक उचित कार्यवाही की जायेगी।
25. सभी कार्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के कॅप कलैण्डर अनुसार दी गयी समयावधि में हर हाल में पूर्ण करना होगा।
26. इस कार्यालय में प्रत्येक प्रोसेसिंग प्लान्ट की धरोहर राशि रुपये 25,000/- मात्र बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम देय हो, फार्म खंजाची के पास समय पर जमा करवाने होंगे। फार्म द्वारा धरोहर राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
27. प्रोसेसिंग व पैकिंग मैटेरियल ठेकेदार के आदमी द्वारा गोदाम से प्लान्ट पर लाना तथा पैकिंग व प्रोसेसिंग का कार्य शुरू करवाना होगा।
28. विधायन संयंत्र को चालू करने से पूर्व संयंत्र परिसर में अच्छी तरह से सफाई करानी होगी।
29. यदि किसी किस्म में अन्य बीजों का मिश्रण है तो उस बीज लॉट की चुगाई का कार्य भी ठेकेदार के मजदूरों द्वारा किया जायेगा जिसका अलग से भुगतान किया जायेगा।
30. सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक अनुबन्ध (एग्रीमेन्ट) रु. 100/- के स्टाम्प पेपर जो ठेकेदार द्वारा खरीदा जायेगा, पर करना होगा।
31. पल्लेदारी के कार्य के दौरान जैसे लोडिंग अनलोडिंग या चट्टा लगाते समय ठेकेदार के किसी श्रमिक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए फार्म कतई जिम्मेवार नहीं है। इसकी वैधानिक देयता की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
32. टेण्टर भरते समय ठेकेदार को अनुभव प्रमाण-पत्र तथा पेनकार्ड संलग्न करना आवश्यक होगा तथा सर्विस टैक्स का पंजीयन अनिवार्य है तथा सर्विस टैक्स का भुगतान नियम लागू होने पर करना पड़ेगा।
33. ठेकेदार तथा प्रबन्धन पक्ष के मध्य किसी प्रकार के मतभेद या विवाद उत्पन्न होने पर आर्बिट्रेशन नियमों के तहत निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा हल किये जायेंगे तथा फार्म निदेशक का निर्णय अन्तिम व सभी ठेकेदारों को मान्य होगा तथा न्यायिक क्षेत्र सूरतगढ़ होगा।
34. टेण्टर में दिये गये सभी कार्यों की दर देना अनिवार्य है अन्यथा कार्य की दर नहीं देने पर उस कार्य को ठेकेदार द्वारा करना अनिवार्य होगा तथा उस कार्य का भुगतान फार्म द्वारा नहीं किया जायेगा।
35. बीज विधायन, पल्लेदारी तथा पैकिंग का कार्य रबी 2014-15, जायद 2015 तथा खरीफ 2015 में उत्पादित सम्पूर्ण रॉ बीजों के लिए है। अतः सम्पूर्ण कार्य समय पर करके देना अनिवार्य है।